


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-178/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.07.2022	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-605, दिनांक-12.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक गोपो बन्धु नायक, पिता-स्व० बिरबल नायक, जाति-गोंड (अ.ज.जा.), ग्राम-डिम्बुली, पो०+थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा-डिम्बुली, थाना नं०-86, थाना-मनोहरपुर खाता नं०-236, प्लॉट नं०-622, रकवा-0.20 ए० भूमि क्रेता अमित हाँसदा, पिता-श्री मंगल हाँसदा, जाति-संथाल (अ.ज.जा.), ग्राम-चिड़िया, थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक गोपो बन्धु नायक, पिता-स्व० बिरबल नायक, जाति-गोंड (अ.ज.जा.), ग्राम-डिम्बुली, पो०+थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति-गोंड (अ.ज.जा.) एवं क्रेता का जाति संथाल (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.65 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता गोपो बन्धु नायक, पिता-स्व० बिरबल नायक, जाति-गोंड (अ.ज.जा.), ग्राम-डिम्बुली, पो०+थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 50,000/- (पचास हजार) रुपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शुल्क अदा कर बिक्रेता को प्रश्नगत भूमि उक्त क्रेता को बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p>	<p style="text-align: center;">2-</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>